

21-10-19

पत्रावली पेश हुई परिवारी को
। वही और से श्री शैलेश कुमार
अधिवक्ता हाजीर व वकालतनामा
पेश किया गया लेकिन वादी कि
और से वादी एवं उनके अधि.
हाजीर नहीं कर- 2 आवक लगाई
गई लेकिन हाजीर नहीं पत्रावली
अदम हाजरी व अदम पत्रावली में
स्वागत किया जाता है पत्रावली
दोहरा देखा है।